संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

क्रमांक 4/शिकायत./सेल-बी.सी./2018/1439-K   भोपाल, दिनांक 26/04/2018

प्रति

डॉ. माधव हसानी,
चिकित्सा अधिकारी,
पी.सी.सेठी, चिकित्सालय संयोगितागंज,
इंदौर,म0प्र0।

व्दारा:- क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐं,इंदौर सम्भाग इंदौर,म0प्र0।

विषय:- अनुशासनात्मक कार्यवाही --कारण बताओ नोटिस विरूद्व डॉ. माधव हसानी,चिकित्सा अधिकारी प्रकाश चन्द सेठी अस्पताल इंदौर, मध्यप्रदेश।

---0000---

यह कि आप डा0माधव हसानी,जिला इंदौर के प्रकाश चन्द्र सेठी अस्पताल इंदौर में चिकित्सा अधिकारी के कार्य के साथ-साथ संचालनालय के आदेश कमांक 4/प्रशिक्षण/ 2011/306, भोपाल, दिनांक 19.8.2011 व्दारा क्षैत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र, इंदौर में प्रशिक्षण अधिकारी प्रशिक्षण समन्वयक का कार्य सम्पादित किये जाने हेतु आपको आदेशित किया गया था।

यह की आपके उक्त कार्यालय में पदस्थी के दौरान कार्यालय सम्भागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाऐं इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा गठित लेखापपरीक्षण दल (ऑडिट दल) के द्वारा प्राचार्य, क्षेत्रिय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिषण इन्दौर,के अभिलेखो की अवधि दिनांक 01.04.11 से 31.03.13 तक की लेखा परीक्षण का अंकेक्षण दिनांक 08.08.2013 से 17.09.2013 के मध्य किया जाकर, अंकेक्षण प्रतिवेदन संभागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐं, इंदौर सम्भाग इंदौर को प्रस्तुत किया गया। अंकेक्षण दल के प्रतिवेदन को सम्भागीय संयुक्त संचालक,स्वास्थ्य सेवाऐं, इंदौर सम्भाग इंदौर व्दारा उनकें पत्र कमांक/आडिट/2013/9775/इंदौर, दिनांक 14.11.2013 व्दारा अपर संचालक (वित्त) को प्रेषित किया गया। प्रतिवेदन में संबंधितो के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु अनुशंसा की गई। जिसमें आप का नाम भी सम्मिलित है।

उक्त अंकेक्षण दल के प्रतिवेदन को संचालनालय के ऑडिट जांच दल को सौपा गया। वर्ष 2011 से 2013 के मध्य उक्त पद पर पदस्थी अवधि के दौरान प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर में एफ.आई.सी.पी.सी. तथा 11 वीं पी.डी.पी.प्रशिक्षण में भाग लेने आये प्रतिभागियों एवं प्रशिक्षकों के भोजन संबंधी व्यवस्था में हुई वित्तीय अनियमितता संबंधी तथ्य, क्षेत्रीय संचालक, स्वास्थ्य सेवाऐं, इंदौर के संज्ञान में आने के परिणानस्वरूप , उनके द्वारा उपरोक्त वर्ष अविध (वर्ष 01.04.2011 से वर्ष 31.03.2013) का अंकेक्षण करवाते हुये जांच प्रतिवेदन संचालनालय की आडिट जांच दल को सौंपा गया तत्पश्चात् संचालनालय के ऑडिट जांच दल द्वारा उक्त वर्ष अवधि का पुनः ऑडिट करवाने का निर्णय लिया जाकर विस्तृत ऑडिट जांच करवाई गई।

संचालनालय की आडिट जांच दल द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन अनुसार यह तथ्य संज्ञान में आया है कि उपरोक्त वर्ष अवधि में प्रशिक्षण केन्द्र, इन्दौर में एफ.आई.सी.पी.सी.प्रशिक्षण हेतु भाग लेने आये 206 प्रतिभागियों एवं 64 प्रशिक्षकों इस प्रकार कुल 230 व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था हेतु राशि रूपये 1,15,500/-का व्यय किया जाना था किंतु आपके द्वारा प्रशिक्षणार्थियों एवं प्रशिक्षकों के साथ आये सपोर्टिंग स्टाफ की भी भोजन व्यवस्था करते हुये राशि रूपये 58,100/-का अतिरिक्त व्यय किया गया।

उपरोक्त के अनुक्रम में आपने 11वीं पी.डी.पी.प्रशिक्षण में भी उपस्थित होने वाले प्रतिभागियों/ प्रशिक्षकों के सपोर्टिंग स्टाफ की भोजन व्यवस्था पर राशि रूपये 9,600/-का अधिक व्यय करते हुये कुल राशि रूपये 67,700/-का अधिक व्यय कर करते हुये शासन को वित्तीय हानि पहुँचाई जाना संचालनालय के आडिट जांच प्रतिवेदन अनुसार परिलक्षित हुआ जिसमे आपकी सहभागिता भी पाई गई।

निरन्तर....2

Scanned with CamScanner

इस प्रकार आपका उक्त आचरण, मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम, एक के खण्ड (i) (ii) (iii) के अनुरूप न होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है तथा आप उक्त नियमों का पालन न कर , अपने कार्य के प्रति सन्निष्ठ एवं कर्त्तव्य परायण न रहते हुये अनुशासनात्मक कार्यवाही के भागी बन गये है।

अतः उपरोक्त वित्तीय अनियमितता के संबंध में आप अपना प्रतिवाद उत्तर नोटिस प्राप्ति के 07 दिवस के अंदर संचालनालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें कि क्यों न उपरोक्त राशि की वसूली आपसे की जावे।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा आदेशित।

(विवेक श्रोत्रिय)
अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक.4/शिकायत./सेल–व्ही.सी./2018/
प्रतिलिपि :–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

भोपाल, दिनांक

1. विधि सलाहकार प्रथम की ओर लोकायुक्त जांच प्रकरण कमांक.17/2015 के संदर्भ में प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव,मध्यप्रदेश शासन,लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,मंत्रालय,वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश की ओर प्रेषित।
3. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय कार्यालय की ओर विषयान्तर्गत प्रकरण में उनके द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन के संदर्भ में प्रेषित।
4. उप संचालक, विज्ञप्त/गोपनीय/लीगल शाखा स्थानीय कार्यालय।
5. क्षेत्रीय संचालक,स्वास्थ्य सेवायें,इन्दौर संभाग,इन्दौर मध्यप्रदेश की ओर जारी नोटिस की प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि जारी नोटिस संबंधित अपचारी चिकित्सा अधिकारी डॉ.माधव हसानी को तामिल कराते हुये तामिली रिपोर्ट एवं संबंधित द्वारा प्रस्तुत प्रतिवाद उत्तर पर आप अपना अभिमत अंकित कर अधोहस्ताक्षरकर्ता को अविलंब भिजवाना सुनिश्चित करें अन्यथा विलंब हेतु आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।
6. प्रभारी एम.आई.एस.स्थानीय कार्यालय की ओर जारी नोटिस की प्रति प्रेषित कर लेख किया जाता है कि जारी नोटिस विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करें।

//

अपर संचालक (प्रशासन)
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश

Scanned with Cam...

—:: प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के अभिलेखों की अवधि दिनांक 01.04.11 से 31.03.13 तक की लेखा परीक्षण का अंकेक्षण प्रतिवेदन::—

प्रस्तावना:— प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के अभिलेखों की अवधि दिनांक 01.04.11 से 31.03.13 तक की लेखा परीक्षण का अंकेक्षण संभागीय ऑडिट दल द्वारा दिनांक 08.08.2013 से 17.09.2013 के मध्यअंकेक्षण का कार्य सम्पन्न किया गया। अंकेक्षण दल में निम्नलिखित सदस्य सम्मिलित रहें—

01. डॉ. आर.एस. डुडवे, उप—संचालक, स्थानीय कार्यालय।
02. श्री वेस्ता डाबर, लेखा अधिकारी, स्थानीय कार्यालय।
03. श्री आर.के. गांगले, सीनियर ऑडिटर, स्थानीय कार्यालय।
04. श्री जी.के. प्रजापति, जूनियर ऑडिटर, स्थानीय कार्यालय।
05. श्री एस.पी. इंगले, स्टोर कीपर, स्थानीय कार्यालय।

लेखा परीक्षण दल द्वारा आवृत अवधि में निम्न अधिकारी ने कार्यालय प्रमुख का कार्यभार संभाला एवं निम्नलिखित कर्मचारी उक्त अवधि में कार्यरत् रहें—

क्र.	नाम	पदनाम	अवधि
01.	डॉ. जी.एल. सोढ़ी	प्राचार्य	06.05.10 से 13.06.11
02.	डॉ. अशोक डागरिया	प्राचार्य	19.06.11 से 30.07.2013
03.	श्री जितेन्द्र मोर्य	लेखापाल	2007 से निरन्तर
04.	श्री शिवसिंह दिरवाये	कनिष्ठ लेखा अधि.	फरवरी—2010 से निरन्तर
05.	श्री महेश गोठवाल	मुख्य लिपिक	29.04.11 से 05.08.13

:: आंतरिक जांच एवं परीक्षण (भाग—1) नियमित बजट ::

(अ) :— म.प्र. कोष संहिता भाग—1 के सहायक नियम—289 के प्रावधान अनुसार नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया गया।

(ब) :— म.प्र. कोष संहिता भाग—1 के सहायक नियम—291 के प्रावधान अनुसार आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कार्यालयीन अभिलेखों का निरीक्षण नहीं किया गया।

(स) :— म.प्र. कोष संहिता भाग—1 के सहायक नियम—197 के अंतर्गत एम.पी.टी.सी. के प्रपत्र—17 में संधारित बिल रजिस्टर का उक्त नियमानुसार कॉलम नं.—1 से 17 तक के कॉलमों की पूर्ति नहीं की गई है।

(द) :— म.प्र. कोष संहिता भाग—1 के सहायक नियम—53 के अनुसार केस बुक के संधारण के उपरान्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अतिरिक्त अन्य अधिकारी से परीक्षण कराया जाना चाहिये जो नहीं कराया गया है।

निरन्तर—2

बिन्दु क्र.–01:– प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में वित्तीय वर्ष–2012–13 में प्राप्त बजट आवन्टन एवं व्यय की जानकारी

क्र.	गद	वित्तीय वर्ष–2012–13 में प्राप्त आवन्टन की राशि	व्यय की राशि
01.	स्टेशनरी	2,23,000/–	64233/–
02.	कार्यालयीन व्यय	7,88,000/–	1,78,645/–
03.	वर्दी	1,08,500/–	64,177/–
04.	कार्यालयीन उपकरण	1,85,000/–	1,52,633/–
05.	51 अन्य प्रभार	10,00,000/–	–
06.	63 मशीन उपकरण	2,46,000/–	–
07.	33 वाहन रिपेरिंग	2,02,000/–	38,355/–
08.	पी.ओ.एल.	3,63,000/–	1,43,8241/–
09.	मजदूरी	79,000/–	77,919/–
कुल राशि			

बिन्दु क्र.–02:– वित्तीय वर्ष–2012–13 में संचालनालय द्वारा विभिन्न मदों में प्राप्त आवन्टन के विरूद्ध व्यय से संबंधित अभिलेखों का ऑडिट दल द्वारा परीक्षण किया गया, परीक्षण उपरान्त कय से सम्बंधित कय नस्ती मांग अनुसार नहीं बनायी गयी, एवं स्थानीय स्तर पर कय समिति का गठन नहीं किया गया, भण्डार कय नियम अनुसार कय आदेश के पश्चात् संबंधित फर्म के द्वारा जो सामग्री प्रदाय की गई है उसका भी स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियां दर्ज कर प्रदाय का विवरण नहीं बताया गया है, वाहन मरम्मत् एवं पी.ओ.एल. व्यय का रिकार्ड भी ऑडिट दल का उपलब्ध नहीं कराया गया है एवं मजदूरी मद में एफ.व्ही.सी. बिल कमांक–62/07.8.12 द्वारा दि. 01.3.12 से 11.06.12 तक कुल राशि रू. 14,898/– का भुगतान श्रीमती शशिबाई कर्जे, पार्टटाईम स्वीपर को किया गया एवं एफ.व्ही.सी. बिल कमांक–63/07.8.12 द्वारा दि. 11.5.12 से 07.06.12 तक कुल राशि रू. 3925/– का भुगतान उसी कर्मचारी को किया गया, जबकि बिल कमांक–62/07.08.2012 द्वारा जो राशि भुगतान की गई, उसी में उक्त अवधि सम्मिलित है, श्रीमती शशिबाई कर्जे, पार्टटाईम स्वीपर को राशि रू. 3925/– का अधिक भुगतान किया गया, उक्त राशि को चालान द्वारा कोषालय में जमा किया जाना है।

बिन्दु क्र.–03:– वित्तीय वर्ष–2011–12 में संचालनालय द्वारा नियमित विभिन्न मदों में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध व्यय का रिकार्ड श्री जितेन्द्र मोर्य, लेखापाल द्वारा ऑडिट दल को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसका परीक्षण किया जाना शेष है।

निरन्तर–3

:: भारत शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में प्राप्त आवंटन के व्यय के सम्बंध में अंकेक्षण की जानकारी (भाग–2) ::

बिन्दु क्र.–04:– प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में वित्तीय वर्ष–2011–12 एवं वर्ष–2012–13 में संचालनालय एवं भारत शासन से विभिन्न योजनाओं में प्रशिक्षण प्राप्त बजट आवन्टन के विरूद्ध शासन की गाईड–लाईन अनुसार व्यय से सम्बंधित अभिलेखों का परीक्षण किया गया है, परीक्षण उपरान्त योजनावार व्यय की जानकारी निम्नानुसार है–

अ– आशा मॉड्यूल 6 एवं 7 में जिला स्तरीय प्रशिक्षण (टी.ओ.टी.) के बजट में मदवार प्राप्त आवन्टन के विरूद्ध व्यय किये गये व्यय में ठहरने के बिलो की राशि 1,11,800/– रूपयों के मिलान नहीं होने के सम्बंध में –

क्र.	चेक क./दिनांक	प्राप्त बजट	व्यय राशि
01.	540936/11.2.13	14,46,800/–	9,18,120/–
02.	450866/07.3.13	7,23,400/–	573040/–
कुल राशि		21,70,200/–	14,91,160/–

शेष राशि रू. 6,97,040/– चेक कमांक–078051/30.03.13 द्वारा वापस की गई।

बिन्दु क्र.–05:– एम.जी.सी.ए. प्रशिक्षण हेतु प्राप्त बजट के मदवार प्राप्त आवन्टन के विरूद्ध व्यय किये गये व्यय में ठहरने के बिलो की राशि 1,76,700/– रूपयों के मिलान नहीं होने के सम्बंध में –

क्र.	चेक क./दिनांक	प्राप्त बजट	व्यय राशि
01.	989856/22.11.12	19,49,500/–	5,05,203/–
02.	989856/22.11.12		459057/–
कुल राशि		19,49,500/–	9,64,260/–

बिन्दु क्र.–06:– सम्पूर्ण स्वास्थ्य सबके लिये प्रशिक्षण हेतु प्राप्त बजट के मदवार प्राप्त आवन्टन के विरूद्ध व्यय किये गये व्यय में ठहरने के बिलो की राशि 1,12,200/– रूपयों के मिलान नहीं होने के सम्बंध में।

क्र.	चेक क./दिनांक	प्राप्त बजट	व्यय राशि
01.	998033/06.10.12	1,54,800/–	7,37,634/–
02.	989810/07.11.12	4,64,400/–	
कुल राशि		6,19,200/–	7,37,634/–

राशि रू. 1,18,434/– का अधिक भुगतान किया गया।

निरन्तर–4

बिन्दु क्र.–07:– ग्राम स्वास्थ्य एवं तदर्थ समिति के लिये प्रशिक्षण हेतु प्राप्त बजट के मदवार प्राप्त आवन्टन के विरूद्ध व्यय किये गये व्यय में ठहरने के बिलो की राशि 1,00,000/– रूपयों के मिलान नहीं होने के सम्बंध में।

क्र.	चेक क्र./दिनांक	प्राप्त बजट	व्यय राशि
01.	172662/20.12.12	1,26,000/–	1,53,470/–
			2,45,844/–
कुल राशि		1,26,000/–	3,99,314/–

राशि रू. 2,73,314/– का अधिक भुगतान किया गया।

बिन्दु क्र.–08:– कार्यालय क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं प.क. प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के पत्र क्र./प्रशि./2013/232/16.01.2013 द्वारा संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र नई दिल्ली को 11Th PDC कोर्स प्रारंभ करने के सम्बंध में पत्र जारी किया गया, जिसमें प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं प.क. प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के स्थान पर डॉ. माधव हासानी द्वारा हस्ताक्षर किये गये है।

निष्कर्ष:– बिन्दु कमांक–4 से 07 तक प्रशिक्षण पर हुये व्यय के व्हाउचरों का अंकेक्षण दल द्वारा परीक्षण करने पर यह पाया गया कि, ठहरने पर हुए व्यय के व्हाउचर उक्त प्रशिक्षणों मे अप्राप्त पाये गये इस सम्बंध में अंकेक्षण दल द्वारा दिनांक 19.8.2013 को मेमो जारी कर जानकारी चाही गई थी, किन्तु प्राचार्य एवं कनिष्ठ लेखा अधिकारी श्री शिवसिंह दिरवाये द्वारा आज दिनांक तक उपलब्ध नहीं करायी गयी एवं ना ही कोई प्रतिवाद उत्तर प्रस्तुत किया गया, इससे यह स्पष्ट होता है कि, उक्त व्यय की राशि बिना व्हाउचर म.प्र. कोष संहिता भाग–1 के सहायक नियम–53 में उल्लेखित नियमों के विपरित रोकड़ बही में प्रविष्ठि की गई जो गंभीर अनियमितता/गबन की श्रेणी में आता है एवं उक्त प्रशिक्षणों में बिन्दु कमांक–06 व 07 में म.प्र. वित्त संहिता भाग–1 के सहायक नियम–8 में उल्लेखित लोक निधि से व्यय के लिये आवश्यक शर्त क्रमांक–व एवं 14 के अनुसार बिना प्राप्त पर्याप्त निधि के व्यय नहीं किया जाना चाहिये जब तक सक्षम अधिकारी द्वारा पुनर्विनियोजन की स्वीकृति ना हो।

बिन्दु क्र.–08:– F.I.C.T.C. प्रशिक्षण दिनांक 12.10.2011 से 09.11.2011 में प्रायोजित प्रशिक्षण के अनुसार गाईड–लाईन से अधिक राशि रू. 58,100/– के अनियमित भुगतान के सम्बंध में दिनांक 19.08.2013 को अंकेक्षण दल द्वारा मेमो जारी कर स्पष्ट स्थिति करने हेतु दिनांक 20.8.2013 तक का समय देकर प्रतिवाद उत्तर चाहा गया था, जो कि अप्राप्त है।

निरन्तर–5

अधिक राशि का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.	दिनांक से दिनांक तक	प्रशिक्षण मे सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षकों की संख्या	प्रशिक्षण में सम्मिलित होने वाले प्रशिक्षकों की कुल संख्या
01.	12.10.11 से 13.10.11 तक	18	प्रशिक्षाणार्थी 133 x 2 = 266
02.	14.10.11 से 15.10.11 तक	17	
03.	17.10.11 से 18.10.11 तक	13	
04.	19.10.11 से 20.10.11 तक	10	
05.	21.10.11 से 22.10.11 तक	24	प्रशिक्षक 32 x 2 = 64
06.	28.10.11 से 29.10.11 तक	09	
07.	25.11.11 से 26.11.11 तक	13	
08.	28.11.11 से 29.11.11 तक	29	
कुल		133	330
राशि		1 X 330 X 350 =	1,15,500/–

गाईड–लाईन एवं प्रशिक्षण में उपस्थित प्रशिक्षक एवं प्रतिभागियों की उपस्थिति पंजी अनुसार भोजन मद में व्यय की कुल राशि 1,15,500/– रूपयों का भुगतान किया जाना था, किन्तु मेसर्स रोशनलाल पालीवाल महाराज, साउथ तुकोगंज इन्दौर द्वारा देयक में 496 की संख्या दर्शाकर राशि रू. 1,73,600/– का भुगतान प्राप्त किया, इस प्रकार 58,100/– का अधिक भुगतान कर मेसर्स रोशनलाल पालीवाल महाराज, साउथ तुकोगंज इन्दौर को लाभ पहुँचाया गया, जो कि म.प्र. वित्त संहिता भाग–1 के सहायक नियम–22 के अनुसार उक्त भुगतान हानि/गबन की श्रेणी में आता है।

बिन्दु क्र.–09:–

अ– 9th प्रोफेशनल डेवेलपमेन्ट कोर्स प्रशिक्षण में आय–व्यय संबंधी जानकारी

क्र.	मद	प्राप्त बजट	व्यय राशि
01.	ई–बैकिंग द्वारा	15,50,000/–	15,10,000/–

ब– 10th प्रोफेशनल डेवेलपमेन्ट कोर्स प्रशिक्षण में आय–व्यय संबंधी जानकारी

क्र.	मद	प्राप्त बजट	व्यय राशि
01.	ई–बैकिंग द्वारा	15,50,000/–	13,77,250/–

स– 11th प्रोफेशनल डेवेलपमेन्ट कोर्स प्रशिक्षण में आय–व्यय संबंधी जानकारी

क्र.	मद	प्राप्त बजट	व्यय राशि
01.	ई–बैकिंग द्वारा	15,50,000/–	12,97,488/–

बिन्दु क्र.–10:– म.प्र. वित्त संहिता भाग–1 के सहायक नियम–117 (1) लोक हितार्थ के उपयोग में आने वाले भण्डारो का कय परिशिष्ट–5 में दिये गये भण्डार कय नियमों में तथा पूरक निर्देशों के सर्वथा अनुरूप होना चाहिये उक्त नियम के विपरित बिना निविदायें आमन्त्रित किये प्राचार्य द्वारा बिना कय समिति के अनुमोदन के एव भण्डार कय नियम–14 अ, ब, स, द एवं 14 ई के विपरित स्वयं के द्वारा म.प्र. वित्त संहिता

निरन्तर–6

भाग–1 के सहायक नियम–9 के अनुसार वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत की शर्त क्रमांक–1 में यह उल्लेखित है कि, प्रत्येक शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि, वह लोक निधि से व्यय करने के सम्बंध में वही सतर्कता बरते जो एक व्यक्ति स्वयं के धन को खर्च करने के बारे में सामान्य दूरदर्शिता का परिचय देता है एवं उक्त उल्लेखित नियम की तीसरी शर्त में यह उल्लेखित है कि, कोई भी प्राधिकारी उसके खर्च करने की स्वीकृति देने की शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार नहीं करेगा, जिससे प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप से स्वयं को लाभ पहुँचायें।

बिन्दु क्र.–11:– म.प्र. वित्त संहिता भाग–1 के सहायक नियम–121 में यह उल्लेखित है कि, भण्डार सामग्री प्राप्त होने पर उसकी जांच की जाना चाहिये एवं उत्तरदायी शासकीय सेवक द्वारा अपने सुपुर्दगी में लिया जाना चाहिये तथा भण्डार में प्रविष्ठि कर देयक पर प्रविष्ठि का प्रमाण–पत्र अंकित होने पर ही भुगतान किया जाना चाहिये, किन्तु उक्त नियम के विपरित संलग्न सूची अनुसार सामग्री का क्रय नहीं किया गया जिसका कही पर भी भण्डार पंजी में प्रविष्ठि नहीं की गई एवं म.प्र. वित्त संहिता भाग–1 के सहायक नियम–122 के अनुसार भण्डार में प्राप्त सामग्री को विधिवत् रूप से आवश्यकतानुसार वितरित की जाना चाहिये जो नहीं की गई है, प्राचार्य द्वारा जो सामग्री क्रय की गई है, किस अधिकारी/कर्मचारी को वितरित की गई, अभिलेखों में प्रविष्ठि नहीं होने से यह स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है कि, क्रय की गई सामग्री कहा पर रखी गई है।

निष्कर्ष:– 01. म.प्र. वित्तीय संहिता भाग–1 के सहायक नियम–117 (1) के परिशिष्ट–5 में उल्लेखित लोक हितार्थ उपयोग में आने वाली सामग्री का क्रय बिना निविदा बुलाये क्रय किया गया।

02. म.प्र.वित्तीय संहिता भाग–1 के सहायक नियम–8/9 में उल्लेखित वित्तीय औचित्य के मानक सिद्धांत के विपरित लोक निधि से राशि आहरित कर व्यय किया गया।

03. म.प्र.वित्तीय संहिता भाग–1 के सहायक नियम–121एवं 122 के विपरित क्रय समाग्री विना निविदा स्टॉक प्रविष्ठि किये भुगतान कर उक्त नियम की अवहेलने की गई।

04. म.प्र. वित्तीय संहिता भाग–1 के सहायक नियम–22 के अनुसार प्राचार्य द्वारा विभिन्न योजना में मेसर्स रोशनलाल पालीवाल महाराज इन्दौर को भोजन व्यय में योजनाओं की गाईड–लाईन के विपरित उपस्थित प्रशिक्षक एवं प्रशिक्षाणार्थियों को उनकी उपस्थिति अधिक दर्शाकर 9वी पी.डी.सी.में राशि रू.135405/–एवं 11वी पी.डी.सी.में राशि रू.22200/–का कुल राशि रू.157605/–का योजना अनुसार अधिक भुगतान किया गया जो उक्त नियमानुसार हानि/गबन की श्रेणी में आता है।

05. एमपीटीसी–6 से प्राप्त आय माह अप्रैल–2013 से आज दिनांक तक केसबुक में प्रविष्ठि न की गई एवं शासकीय खजाने मे राशि रू. लगभग 52392/– को जमा नहीं किया गया उक्त राशि भी गबन की श्रेणी में आता है।

निरन्तर–7

06. मोहम्मद शाहिद चौहान को बिल क्र.–1 दिनांक 02.05.2012 के अनुसार भुगतान राशि रू. 1,28,000/– का भुगतान गेट एवं अन्य कार्य के रूप में बिना क्रय समिति एवं बिना निविदा आमंत्रित किये अग्रिम राशि के चेक दिये जाकर किया, जो कि, प्रोफेशनल डेवेलोपमेन्ट कोर्स प्रशिक्षण में प्राप्त आवंटन में प्रावधान नहीं होने के पश्चात भी पीडीसी गाईड लाईन के विपरीत खर्च की गई। जो कि वित्तीय संहिता भाग–1 के सहायक नियम–9 के विपरित भुगतान किया गया, जो उक्त नियमानुसार हानि/गबन की श्रेणी में आता है।

07. 11th प्रोफेशनल डेवेलपमेन्ट कोर्स प्रशिक्षण के पेड व्हाउचर्स एवं रोकड़ वही का मिलान करने पर यह पाया गया कि, पेड व्हाउचर्स अनुसार रोकड वही में प्रविष्टि की गई है उसमें निम्नलिखित व्हाउचर्स राशि रू. 95,434/-- के रोकड़ वही में नहीं पाये गये जिनका विवरण निम्नानुसार है–

01. पूरवायी इन्दौर बिल क्र.–4585/........................ रू. 2600/–
02. पूरवायी इन्दौर बिल क्र.–4943/........................ रू. 7600/–
03. जयसुधा कम्प्यूटर इन्दौर बिल क्र.–14/31.03.13 रू. 69384/–
04. जय श्रीकृष्ण इन्दौर बिल क्र.–188/21.03.13 रू. 15850/–

कुल राशि रू. 95,434/–

जो कि, म.प्र. कोष संहिता भाग–1 के सहायक नियम–53 में उल्लेखित नियमों के विपरित पायी गयी।

08. म.प्र. कोष संहिता भाग–1 के सहायक नियम–297 से 299 में उल्लेखित नियमानुसार प्रत्येक कार्यालय में कांटीजेन्सी रजिस्टर संधारित किया जाना चाहिये एवं उक्त पंजी में प्रतिदिन आकस्मिकता से होने वाले व्यय के व्हाउचरों की प्रविष्ठ किये गये व्हाउचरों को सत्यापित कर सक्षम अधिकारी द्वारा भुगतान किया जाना चाहिये किन्तु प्राचार्य द्वारा उक्त नियमों का पालन नहीं कर बिना पंजी संधारित किये आकस्मिक व्यय व्हाउचरों का कही पर भी प्रविष्ठि नहीं किया गया।

09. डॉ. माधव हसानी मूलतः चिकित्सा अधिकारी होकर ~~एक~~ उनकी पदस्थापना स्थल शासकीय पी.सी. सेठी चिकित्सालय में काम न करते हुए किस सक्षम अधिकारी के आदेश से प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर में कार्यरत रहे, आदेश की छायाप्रति उपलब्ध नहीं कराई गई एवं मूल पदस्थापना स्थल से अन्य कार्य नहीं लिये जाते के शासन आदेश के बाद भी प्राचार्य द्वारा उन्हें ट्रेनिंग कोर्डिनेटर बताकर उनसे कार्य लिया गया।

10. प्राचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र इन्दौर के शासकीय आवासों में [illegible] अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा शासकीय आवास उपयोग करने के बदले में [illegible] जल प्रदाय किया जा रहा है; उसका जल प्रभार कई वर्षों से

निरन्तर.....8

वसूल नहीं किया जा रहा है एवं अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा जलकर के बिना भुगतान के उपयोग कर रहे हैं। सभी से वसूली किया जाना उचित होगा।

11. निम्नलिखित चिकित्सकों को गाइडलाइन के विरुद्ध पूर्ण दिवस का प्रशिक्षण नहीं दिया गया जिसकी जानकारी निम्नानुसार है

1 डा0 सोहन लाल पिपल्या
2 डा0 रेखा पिपल्या
3 डा0 अभिषेक जीनवाल
4 डा0 विजया सकपाल
5 डा0 तरुण गुप्ता
6 डा0 आर. एस. चौहान
7 डा0 अमित वर्मा
8 डा0 मनीष मिन्डा

प्राचार्य

संचालनालय द्वारा भेजी गई नामांकित चिकित्सकों की सूची में भी आपके द्वारा फेरबदल कर अन्य चिकित्सकों को प्रशिक्षण दिया गया

प्रोफेशनल डेवेलोपमेन्ट कोर्स में गाईड लाईन अनुसार दंत चिकित्सा अधिकारी डा0 अभिषेक जीनवाल को प्रशिक्षण नहीं दिया जाना चाहिए था, एवं पूर्व में डा0 मिन्डा द्वारा पी. डी. सी. प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया था अतः गाइड लाइन अनुसार डा0 मिन्डा एवं डा0 अभिषेक जीनवाल को प्राचार्य द्वारा गलत जानकारी देकर प्रशिक्षण प्राप्त कराया गया। उक्त प्रशिक्षण पर व्यय हुई राशि की वसूली की जाकर गलत जानकारी देने के लिए इनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने हेतु शासन को सूचित किया जाना उचित होगा।

12 11वीं प्रोफेशनल डेवेलोपमेन्ट कोर्स प्रशिक्षण में एन.आई.एफ.एच.डब्लयू. की डा0 मधुलिका भट्टाचार्य ने स्पष्ट निर्देश दिये कि आप 14 जनवरी के पहले पी. डी. सी प्रारंभ करें तथा 31 मार्च के पहले समाप्त करें लेकिन आपके द्वारा पी.डी.सी प्रशिक्षण 17 जनवरी 2013 से प्रारंभ कर 06.04.2013 तक आयोजित किया गया।

13 श्री देवीलाल पुरोहित, सेवानिवृत्त वाहन चालक इन्दौर को 11वीं प्रोफेशनल डेवेलोपमेन्ट कोर्स प्रशिक्षण में राशि रू. 10,000/– का भुगतान किया गया, जिसके सपोर्ट में कोई आदेश जारी नहीं किया गया एवं किस नंबर का शासकीय वाहन का संचालन किया एवं लागबुक भी किस अधिकारी द्वारा उपयोग की गई, छायाप्रति नहीं उपलब्ध कराई गई, उक्त व्यय गंभीर वित्तीय अनियमितताएँ की श्रेणी में आता है।

जांच प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु आपकी ओर प्रेषित है।

आर.के. गांगले
जूनियर ऑडिटर
स्थानीय कार्यालय इन्दौर

वेसा डाबर
वित्तीय लेखा अधिकारी
स्थानीय कार्यालय इन्दौर

डॉ. आर.एस. डुडवे
जांचकर्ता अधिकारी एवं
उप–संचालक
स्थानीय कार्यालय, इन्दौर

जी.के. प्रजापति
जूनियर ऑडिटर
स्थानीय कार्यालय इन्दौर

एस.पी. इंगले
स्टोर कीपर
स्थानीय कार्यालय इन्दौर

सहमत

3.X.13

[illegible]

क्र.	फर्म का नाम	बिल क्र./दिनांक	राशि रूपयों में
01.	कमल इलेक्ट्रिक, इन्दौर	160 / 15.04.2011	6000/-
02.	सुनिल ऐजेन्सी, इन्दौर	26 / 08.08.2011	40,425/-
03.	आरएनडी टेक्नालॉजी, इन्दौर	3796 / 05.11.2011	51,600/-
04.	वैशाली, इन्दौर	10266 / 25.07.2011	75,200/-
05.	देव पाईंट इन्दौर	1192 / 03.8.2011	50,642/-
06.	पुरवई कम्प्यूटर, इन्दौर	826 / 09.06.2011	18,400/-
07.	जयसुधा कम्प्यूटर, इन्दौर	06 / 07.06.2011	10,080/-
08.	विक्रम सेल्स ऐजेन्सी, इन्दौर	920 / 23.04.2011	7,421/-
09.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	ए1 / 05.04.2011	23,707/-
10.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	ए2 / 05.04.2011	11,151/-
11.	पंकज मित्रा हाउस, इन्दौर	क्यू1 / 15.04.2011	15,000/-
12.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	261 / 17.05.2011	6,110/-
13.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	211 / 07.05.2011	8,580/-
14.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	110 / 07.04.2011	7,300/-
15.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	1262 / 29.03.2011	11,370/-
16.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	1261 / 28.03.2011	8,060/-
17.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	1260 / 28.03.2011	8920/-
18.	यासिक इलेक्ट्रिकल, इन्दौर	513 / 20.04.2012	34,800/-
19.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	/ 27.02.2012	11,025/-
20.	इसी साफ्टवेयर इन्दौर	/ 25.03.2012	24,986/-
21.	पुरवई कम्प्यूटर, इन्दौर	/ 03.04.2012	7,550/-
22.	पेरामाउन्ट इन्दौर	/ 03.04.2012	9450/-
23.	पेरामाउन्ट इन्दौर	/ 03.04.2012	9400/-
24.	जयसुधा रिपेयर, इन्दौर	/ 10.04.2012	17,150/-
25.	यूरेका फोर्ब्स, इन्दौर	/ 06.04.2012	12,990/-
26.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	908 / 14.03.2012	20,173/-
27.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	907 / 14.03.2012	12,100/-
28.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	1007 / 31.03.2012	70,000/-
29.	विधि कम्युनिकेशन, इन्दौर	/ 27.01.2012	30,875/-
30.	विधि कम्युनिकेशन, इन्दौर	/ 27.01.2012-	33,210/-
31.	राजेन्द्र ट्रेडर्स, इन्दौर	/ 17.04.2012	6,900/-
32.	राजेन्द्र ट्रेडर्स, इन्दौर	/ 13.04.2012	20,415/-
33.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	/ 20.04.2012	11,760/-
34.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	/ 20.04.2012	37,674/-
35.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	/ 17.03.2012	2,100/-
36.	यू.एस. इन्टरप्राईजेस, इन्दौर	224 / 19.04.2012	17,025/-
37.	यू.एस. इन्टरप्राईसेस, इन्दौर	225 / 19.04.2012	16,500/-
38.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	ए2 / 18.04.2012	41,584/-
39.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	ए1 / 18.04.2012	11,540/-
40.	मो.शाहिद [illegible], इन्दौर	01 / 02.05.2012	1,28,000/-
41.	[illegible]	30 /	10,000/-
42.	आरएम कम्प्यूटर, इन्दौर	11 / 02.04.2013	29,000/-
43.	पुरवई कम्प्यूटर, इन्दौर	4585 /	26,00/-
44.	पुरवई कम्प्यूटर, इन्दौर	4943 /	7,600/-
45.	जयसुधा कम्प्यूटर, इन्दौर	जेसी13 / 31.03.2013	1,86,730/-

46.	[illegible]	1133 / 22.03.2013	69,250 / –
47.	जयश्री कृष्ण इन्दौर	188 / 21.03.2013	15,850 / –
48.	श्री हरि इंटरप्राईज, इन्दौर	495 / 25.02.2013	13,380 / –
49.	श्री हरि इंटरप्राईज, इन्दौर	496 / 17.01.2013	4,620 / –
50.	जयसुधा कम्प्यूटर, इन्दौर	जेसी14 / 31.03.2013	69,384 / –
51.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	750 / 04.03.2013	9,918 / –
52.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	763 / 04.02.2013	17,184 / –
53.	लक्की स्टेशनरी, इन्दौर	551 / 12.01.2013	26,898 / –
54.	स्पोर्टस इन्दौर	60 / 26.03.2013	9,565 / –
55.	जयसुधा कम्प्यूटर, इन्दौर	जेसी12 / 20.02.2013	18,000 / –
56.	जयसुधा कम्प्यूटर, इन्दौर	जेसी10 / 18.02.2013	19,904 / –
57.	विधि कम्प्यूनिकेशन, इन्दौर	4569 / 17.01.2013	37,575 / –
58.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	ए16 / 29.03.2013	25,568 / –
59.	लूसी कम्प्यूटर, इन्दौर	ए15 / 18.03.2013	25,515 / –
60.	श्री फोटोकॉपी इन्दौर		10,000 / –
61.	देवीलाल पुरोहित, वाहन चालक, इन्दौर	मानदेय	10,000 / –